

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

Setting aside the principle of social justice in Delhi University as well as other universities in the ongoing admission process

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और माननीय एचआरडी मिनिस्टर साहब का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। सर, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन चल रहे हैं। अब तक जो हमारी संवैधानिक मान्यताएं रही हैं, सामाजिक न्याय की जो एक रवायत रही है कि अगर एससी-एसटी, ओबीसी और अब ईडब्ल्यूएस unreserved categories में आता है, तो वह unreserved में ट्रीट होगा और बाकी बची सीट्स different categories में जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में इसका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। Bulletin of Information कहता है,

"The merit list will include SC, ST, OBC and EWS irrespective of category that meet the criteria of merit for UR whereas at the ground zero level it is being violated". I would urge the House, through you, Sir, that the hon. HRD Minister must intervene and make sure that the idea of social justice is implemented in letter and spirit. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Jhaji, you please meet me personally. I also happen to be the Chancellor of Delhi University. We will discuss it and then take it up with the University.

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री शमशेर सिंह दुलो (पंजाब): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MOHD. ALI KHAN (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUBHASISH CHAKRABORTY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K. C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I also associate myself with the concern raised by the hon. Member.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, I also associate myself with the concern raised by the hon. Member.

SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM (Odisha): Sir, I also associate myself with the concern raised by the hon. Member.

Non-utilization of ₹1500 crore sanctioned for Smart City project in Punjab

श्री श्वेत मलिक (पंजाब): सर, मैं आपके माध्यम से पंजाब के साथ हुए एक बहुत बड़े अन्याय की बात कर रहा हूँ। मैं मोदी सरकार को यह धन्यवाद दूँगा कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरों को स्मार्ट बनाने और शहरियों को स्मार्ट बनाने के लिए हुई थी। इसके अंतर्गत सौ शहरों के विकास के लिए सूची बनी, जिसमें पंजाब के तीन शहर, जिसमें श्री अमृतसर साहेब, जो गुरु नगरी है और सिखों का मक्का है, एक वह शहर था, दूसरा लुधियाना, जो hosiery का शहर है, इसके लिए वह विश्व प्रसिद्ध है, वह था, और जालन्धर, जो स्पोर्ट्स हब है, वह था। इसके लिए पाँच वर्ष पहले वर्ष 2015 में 1500 करोड़ रुपए आवंटित हुए, उन्हें केंद्र सरकार ने issue किया, sanction किया, पर प्रदेश सरकार के असहयोग से वह काम अभी शुरू नहीं हुआ है। सर, स्मार्ट सिटी में सड़कों का निर्माण, सीवरेज, वॉटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स, गुड एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज़, साथ ही और भी कई विशेष सुविधाएं, जिनमें community center, वृक्षारोपण, ट्रैफिक, इसका मतलब यह है कि शहरियों के जीवन को सर्व सुविधा-संपन्न बनाना और उनको law abiding बनाना भी है। इसके अंतर्गत awareness programme भी है कि आप कानून का पालन करो, ट्रैफिक रूल्स का पालन करो। सर, इसके लिए